उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या : सा.-3-241/दस-2004-301/2000
लखनऊ : दिनांक : 19 फरवरी, 2004

कार्यालय-ज्ञाप

विषय : राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत की स्वीकृति ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा.-3-1441/दस-2003-301/2000, दिनांक 30 सितम्बर, 2003 जिसके द्वारा महंगाई राहत की एक किस्त 01 जनवरी, 2003 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनर / पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई के 306.33 (जैसा कि 01-01-1996 को थी) औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई अतिरिक्त वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 सितम्बर, 2003 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई, 2003 से महंगाई राहत की एक और किस्त 04 प्रतिशत (चार प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है । तद्नुसार दिनांक 01-07-2003 से राहत की दर बढ़कर 59 प्रतिशत हो गयी है ।

2- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपयों में राउण्ड कर दिया जायेगा ।

3- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा ।

4- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे ।

Government of Uttar Pradesh
Finance (General) Section-3

No. Sa.-3-241/X-2004-301/2000
Dated : Lucknow : Feb. 19 , 2004

Office Memorandum

Subject :- Grant of Dearness Relief to State Government Civil / Family Pensioners.

The undersigned is directed to refer to this office Memo no. Sa.-3-1441/X-2003-301/2000 Dated September 30, 2003 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from January 01, 2003 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer Price Index 306.33 (as on 01.01.1996), at the rate of 4% (Four percent) with effect from July 01, 2003 in super- session of the rates mentioned in the O.M., dated September 30, 2003 referred to above. Accordingly, the rate of Dearness Relief of Pension/Family Pension w.e.f. 01-07-2003 has risen to 59%

2. Payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee, shall be rounded off to the next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, employees of Local Bodies and Public Undertakings / Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of institutions aided from State Fund under the Education / Technical Education Departments, whose pension/family pension is at par with that of the pensioners of the State Government.

5- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आश्यकता नहीं है । अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा ।

6- महंगाई राहत स्वीकृति करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबंध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे ।

(मनजीत सिंह)
सचिव ।

सेवा में,

उ.प्र. शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण ।

5. As per orders issued in O.M. no. A-1-252/ X-10(3)-81, dated April 27,1982 the Accountant General's authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the paying authorities/public sector banks.

6. Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

(MANJIT SINGH)
Secretary.

To,

All Principal Secretaries / Secretaries to Government of Uttar Pradesh, Heads of Departments/Offices, all Treasury Officers and other officers as per previous distribution list.

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 130 सा० वित्त–(2313)–2004–15000 प्रतियां–(आफसेट)।